

कार्यालय सामान्य वनमण्डल सीहोर (म.प्र.)

DFO INSPECTION REPORT

Name of the project for which Forest Land is required:	महादेव बेन्द्रा तालाब निर्माण
Name of District/Division:	सीहोर
Name of Forest Range :	रेहटी
Forest Compartment No. :	PF488
Site Inspection Date :	10/02/2024

Sn.	Particular	Inspection Report By DFO(T)
1	Extent in hectares.	कक्ष क्रमांक 488 में 17.713 हे० एवं असीमांकित क्षेत्र में 19.317 हे० कुल 37.030 हेक्टेयर
2	Location (lat-long) of the forest land proposed for diversion	संलग्न
3	Legal status of the land (protected forest, reserved forest revenue forest lands or any other forest land)	प्रस्तावित क्षेत्र बीट बनियागांव कक्ष क्रमांक- PF488 अंतर्गत आता है।
4	Demarcation of the area with temporary cairns etc.	सीमांकन कार्य हो चुका है।
5	Any signs of encroachment.	प्रस्तावित क्षेत्र में कुल 16 वनाधिकार पत्र धारको के 17 वनाधिकार पत्र हैं एवं 04 कृषक अतिक्रमणकारी हैं।
6	Any activity already taken up within the forest land of adjoining non forest land as part of the proposed project by the user agency. Details of action taken against the user agency in case of violation of the FC Act and guideline there under.	वनक्षेत्र में कोई वनसंरक्षण अधिनियम का उल्लंघन नहीं किया गया।
7	Status of vegetation site quality, species compositions etc.	प्रस्तावित क्षेत्र सागौन वन श्रेणी में होकर घनत्व 0.5 का है, व स्थल गुणवत्ता 5B की है।
8	Importance of area from wildlife point of view Status of wildlife (density and abundance of important species, bird life reptiles, butterflies and other scheduled animals any endangered wildlife) Any latest census of wildlife in this area.	प्रस्तावित वनक्षेत्र में कोई दुर्लभ वन्यप्राणी की प्रजाति नहीं है, मात्र सियार, खरगोश व लकड़बग्घा देखे गये।
9	Endemism of flora/fauna or any other unique ecosystem in the area.	प्रस्तावित क्षेत्र में कोई दुर्लभ अथवा विशिष्ट प्रजाति के वन्यप्राणी या वनस्पति का होना नहीं पाया गया।
10	Current land use. Is this area managed as per prescription in the working plan and , if not, why ?	हाँ, वन विकास निगम के सीहोर परियोजना मंडल सीहोर के नियंत्रण में है। जिसका कार्य आयोजना अनुसार प्रबंधन किया जा रहा है।
11	Importance of the area from historical or religious point of view.	प्रस्तावित क्षेत्र में ऐतिहासिक महत्वपूर्ण स्मारक एवं धार्मिक दृष्टि से कोई महत्वपूर्ण स्थल नहीं है।
12	Any dependent persons/families on this land.	प्रस्तावित क्षेत्र में कुल 16 वनाधिकार पत्र धारको एवं 06 कृषक राजस्व के पट्टे वाले एवं 04 कृषक अतिक्रमणकारी हैं।

13	Any displacement of persons proposed.	16 वनाधिकार पत्र धारक एवं 06 कृषक राजस्व के पट्टे वाले कृषको का विस्थापन करना होगा। पूर्व में कोई विस्थापन नहीं किया गया है।
14	Is here any rehabilitation and resettlement plan for the persons to be affected ? Is there any dissenting voice among the persons proposed to be displace?	प्रस्तावित क्षेत्र में कुल 16 वनाधिकार पत्र धारको एवं 06 कृषक राजस्व के पट्टे वाले एवं 04 कृषक अतिक्रमणकारी है, जिसमें व्यक्तियों/परिवारों को व्यवस्थापित किया जाना होगा।
15	Compensatory afforestation proposed is on forest land or non forest land. Location of this area, suitability of the area for CA. If in the degraded forest land then what is the current working plan rescription for the area / Distance of the non forest land fir CA from the nearest forest area. Number of patches in case the area should be more than 10 kms.	क्षतिपूर्ति वनीकरण योजना तहसील मिर्जापुर के ग्राम रूपेड़ा का खसरा नंबर 1/1/1क, 14/1, 14/2/1, 271/1 रकबा 48.792 हे० में प्रस्तावित की गई है।
16	Proposed area should not be part of any protected area. Also distance from the boundary of the nearest protected area should be more than 10 Kms.	प्रस्तावित क्षेत्र कोई भी संरक्षित क्षेत्र/अभ्यारण्य का भाग नहीं है तथा संरक्षित/अभ्यारण्य क्षेत्र से 10 कि.मी. की परिधि में नहीं है।
17	Dependence of tribal's in the area. Whether the rights of the tribal's have been recognized in the area.	कृषि कार्य हेतु आश्रित है। मुआवजा प्रावधानित है।
18	Utility of the project, including the people living in close vicinity of the project.	परियोजना अंतर्गत महोदव बेन्द्रा तालाब निर्माण होने से निकटस्थ के ग्रामीण क्षेत्र, रहवासीयो एवं वन्यप्राणीयो को पेयजल एवं सिंचाई सुविधा उपलब्ध होगी।
19	In case of renewal whether all the conditions stipulated in the earlier sanction order have been complied with.	संबंधित नहीं है।
20	Alternatives examined by the user agency in case of no-site specific project.	अन्य कोई विकल्प नहीं है।
21	A certificate by the user agency that the forest land requested for diversion for non-forestry purpose is minimum.	हाँ, प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।
22	Any scope of saving tree growth while ensuring that the purpose for which the forest land is being diverted is also not adversely affected.	प्रस्तावित क्षेत्र में सागौन एवं अन्य प्रजाति के कुल 3369 वृक्ष प्रभावित होना पाया गया है। जिसका नियमानुसार प्रकरण स्वीकृत उपरांत विदोहन किया जावेगा। जिसके बदले तहसील आष्टा ग्राम मिर्जापुर का खसरा नंबर 1/1/1क, 14/1, 14/2/1, 271/1 रकबा 48.792 हेक्टेयर में वृक्षारोपण प्रस्तावित किया गया है।
23	Any other issue of significance.	नहीं।
24	Specific recommendations of the DFO with reasons for approval of the project.	प्रस्तावित वन क्षेत्र में महादेव बेन्द्रा तालाब निर्माण होने से आसपास के ग्रामीणों, कृषको को सिंचाई सुविधा एवं पेयजल व्यवस्था सुचारु रूप से उपलब्ध होगी। अतः उक्त तालाब निर्माण की अनुशंसा की जाती है।

Place- Sehore

Date-


Divisional Forest Officer
Division Sehore (T)